दैनिक ध्रुव वाणी

नेपा लिमिटेड में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

नेपानगर ■ ध्रुव वाणी।

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अपने प्रस्तावना उद्बोधन में आईटी विभाग की सहायक अधिकारी आभा महतो द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन से संबंधित हेल्पलाइन नंबर सहित उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुएं बताया कि यदि वास्तव में किसी महिला कर्मचारी के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार होता है तो उसे बेझिझक आगे आकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। मुख्य वक्ता अधिवक्ता काजोल बुग्गीवाला ने यौन उत्पीडन पर विस्तृत वैधानिक जानकारी देते हुए बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न न केवल परेशान महिला कर्मी को मानसिक और शारीरिक क्षति होती है; बल्कि भय और भेदभावपूर्ण कार्य वातावरण बन जाने के कारण कार्यस्थल पर अवसरों को भी गंभीर रूप से कम कर देता है। सत्र में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को सुनने और संबोधित करने और लिंग संबंधी मुद्दों और आंतरिक शिकायत समिति के कामकाज के बारे में जागरूकता फैलाने से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया। यौन उत्पीड़न के विभिन्न रूपों मौखिक, शारीरिक, दृश्य के बारे में चर्चा करते हुए, काजोल बुग्गीवाला ने कहा कि चुप्पी का मतलब हमेशा यह नहीं है कि कोई भी कृत्य स्वागत योग्य है; और किसी व्यवहार को प्रोत्साहित करने का मतलब यह नहीं है कि किसी भी प्रकार के व्यवहार का स्वागत है। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कितनी महिलाएं प्रतिशोध के डर, सामाजिक कलंक, सबूत की कमी, प्रतिष्ठा खोने के डर, कम आत्मविश्वास, नौकरी छूटने के डर या जागरूकता की कमी के कारण शिकायत या रिपोर्ट नहीं करती हैं। हर संगठन में आंतरिक समिति के महत्व को समझाते हुए, उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के बारे में बात की और आंतरिक समिति के लिए समयसीमा और पिट स्टॉप और आंतरिक समिति कैसे काम करती है, इस पर भी चर्चा की साथ ही तीन प्रमुख कानूनों, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के बारे में चर्चा की। उन्होंने उपयुक्त उदाहरण भी दिए और कार्यस्थल उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के बीच अंतर और पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को समझाया। कार्यशाला में डॉक्टर राजश्री मोरे, पद्मजा अलेगु, सौम्या शोत्रीय, सुषमा गौर, लक्ष्मी सेन, नोहशीन खान, रीतिका भमोरे, मीना श्रीवास्तव, शिवांगी सिंह, छाया महाजन, आंचल पाल, सरिता पाटिल, अंजली अहिरवार, चेतना पाटिल, नैना श्रीमाली, सुहाना खान उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कनिष्ठ अधिकारी वाणिज्य विभाग संगीता लाल ने किया तथा आभार संपदा विभाग की निशा प्रजापति ने माना।

नेपा लिमिटेड में 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम'

प्राईम संदेश, कुणाल दशौरे नेपानगर

पर एक कार्यशाला की गई आयोजित* केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड में %कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम% पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अपने प्रस्तावना उद्बोधन में आईटी विभाग की सहायक अधिकारी आभा महतो द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन से संबंधित हेल्पलाइन नंबर सहित उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुएं बताया कि यदि वास्तव में किसी महिला कर्मचारी के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार होता है तो उसे बेझिझक आगे आकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। मुख्य वक्ता अधिवक्ता काजोल बुग्गीवाला ने यौन उत्पीडन पर विस्तृत वैधानिक जानकारी देते हुए बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न न केवल परेशान महिला कर्मी को मानसिक और शारीरिक क्षति होती है; बल्कि भय और भेदभावपूर्ण कार्य वातावरण बन जाने के कारण कार्यस्थल पर अवसरों को भी गंभीर रूप से कम कर देता है। सत्र में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को सुनने और संबोधित करने और लिंग संबंधी मुद्दों और आंतरिक शिकायत समिति के कामकाज के बारे में जागरूकता फैलाने से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया। यौन उत्पीड़न के विभिन्न रूपों मौखिक, शारीरिक, दृश्य के बारे में चर्चा करते हुए, काजोल बुग्गीवाला ने कहा कि चुप्पी का मतलब हमेशा यह नहीं है कि कोई भी कृत्य स्वागत योग्य है; और किसी व्यवहार को प्रोत्साहित करने का मतलब यह नहीं है कि किसी भी प्रकार के व्यवहार का स्वागत है। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कितनी महिलाएं प्रतिशोध के डर, सामाजिक कलंक, सबूत की कमी, प्रतिष्ठा खोने के डर, कम आत्मविश्वास, नौकरी छूटने के डर या जागरूकता की कमी के कारण शिकायत या रिपोर्ट नहीं करती हैं। हर संगठन में आंतरिक समिति के महत्व को समझाते हुए, उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के बारे में बात की और आंतरिक समिति के लिए समयसीमा और पिट स्टॉप और आंतरिक समिति कैसे काम करती है, इस पर भी चर्चा की साथ ही तीन प्रमुख कानूनों, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के बारे में चर्चा की। उन्होंने उपयुक्त उदाहरण भी दिए और कार्यस्थल उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के बीच अंतर और पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को समझाया। कार्यशाला में डॉक्टर राजश्री मोरे, पद्मजा अलेगु, सौम्या शोत्रीय, सुषमा गौर, लक्ष्मी सेन, नोहशीन खान, रीतिका भमोरे, मीना श्रीवास्तव, शिवांगी सिंह, छाया महाजन, आंचल पाल, सरिता पाटिल, अंजली अहिरवार, चेतना पाटिल, नैना श्रीमाली, सुहाना खान उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कनिष्ठ अधिकारी वाणिज्य विभाग संगीता लाल ने किया तथा आभार संपदा विभाग की निशा प्रजापति ने माना।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर आयोजित की गई कार्यशाला

नेपानगर (निमाड़ की धड़कन,संजय दीक्षित के साथ रविंद्र इंगले) की खास रिपोर्ट केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अपने प्रस्तावना उद्बोधन में आईटी विभाग की सहायक अधिकारी आभा महतो द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन से संबंधित हेल्पलाइन नंबर सहित उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुएं बताया कि यदि वास्तव में किसी महिला कर्मचारी के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार होता है तो उसे बेझिझक आगे आकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। मुख्य वक्ता अधिवक्ता काजोल बुग्गीवाला ने यौन उत्पीडन पर विस्तृत वैधानिक जानकारी देते हुए बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न न केवल परेशान महिला कर्मी को मानसिक और शारीरिक क्षति होती है; बल्कि भय और भेदभावपूर्ण कार्य वातावरण बन जाने के कारण कार्यस्थल पर अवसरों को भी गंभीर रूप से कम कर देता है। सत्र में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को सुनने और संबोधित करने और लिंग संबंधी मुद्दों और आंतरिक शिकायत समिति के कामकाज के बारे में जागरूकता फैलाने से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया। यौन उत्पीड़न के विभिन्न रूपों मौखिक, शारीरिक, दृश्य के बारे में चर्चा करते हुए, काजोल बुग्गीवाला ने कहा कि चुप्पी का मतलब हमेशा यह नहीं है कि कोई भी कृत्य स्वागत योग्य है; और किसी व्यवहार को प्रोत्साहित करने का मतलब यह नहीं है कि किसी भी प्रकार के व्यवहार का स्वागत है। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कितनी महिलाएं प्रतिशोध के डर, सामाजिक कलंक, सबूत की कमी, प्रतिष्ठा खोने के डर, कम आत्मविश्वास, नौकरी छूटने के डर या जागरूकता की कमी के कारण शिकायत या रिपोर्ट नहीं करती हैं। हर संगठन में आंतरिक समिति के महत्व को समझाते हुए, उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के बारे में बात की और आंतरिक समिति के लिए समयसीमा और पिट स्टॉप और आंतरिक समिति कैसे काम करती है, इस पर भी चर्चा की साथ ही तीन प्रमुख कानूनों, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के बारे में चर्चा की। उन्होंने उपयुक्त उदाहरण भी दिए और कार्यस्थल उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के बीच अंतर और पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को समझाया। कार्यशाला में डॉक्टर राजश्री मोरे, पद्मजा अलेगु, सौम्या शोत्रीय, सुषमा गौर, लक्ष्मी सेन, नोहशीन खान, रीतिका भमोरे, मीना श्रीवास्तव, शिवांगी सिंह, छाया महाजन, आंचल पाल, सरिता पाटिल, अंजली अहिरवार, चेतना पाटिल, नैना श्रीमाली, सुहाना खान उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कनिष्ठ अधिकारी वाणिज्य विभाग संगीता लाल ने किया तथा आभार संपदा विभाग की निशा प्रजापति ने माना।

नईदुनिया संजय चौहान 9406689018

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की बेझिझक शिकायत करें : महतो

कार्यशाला में यौन उत्पीड़न और रोकथाम की जानकारी देतीं आभा महतो। • नईदुनिया

- नेपा लिमिटेड में यौन उत्पीड़न और रोकथाम के लिए हुई कार्यशाला
- जागरूकता की कमी के कारण महिलाकर्मी नहीं करती है शिकायत

नेपानगर (नईदुनिया न्यूज)। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए नेपा लिमिटेड में शनिवार को कार्यशाला आयोजित की गई। आइटी विभाग की सहायक अधिकारी आभा महतो ने यौन उत्पीड़न से संबंधित हेल्पलाइन नंबर सहित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि वास्तव में किसी महिला कर्मचारी के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार होता है तो उसकी बेझिझक शिकायत करनी चाहिए। मुख्य अधिवक्ता काजोल बुग्गीवाला ने यौन उत्पीड़न पर वैधानिक जानकारी दी। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिला कर्मी मानसिक, शारीरिक रूप से परेशान होकर गंभीर सदमे के दौर से भी गुजरती है।

काजोल बुग्गीवाला ने कहा-कई महिलाएं डर, सामाजिक कलंक, सबूत की कमी, प्रतिष्ठा खोने के डर, कम आत्मविश्वास, नौकरी छूटने या जागरूकता की कमी के कारण शिकायत नहीं करती हैं। इस दौरान तीन प्रमुख कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के बारे में चर्चा की गई। कार्यशाला में डा. राजश्री मोरे, पद्मजा अलेगु, सौम्या क्षोत्रिय, सुषमा गौर, लक्ष्मी सेन, नोहशीन खान, सुहाना खान आदि उपस्थित थीं। कार्यशाला का संचालन संगीता लाल ने किया।

दैनिक भास्कर
बुरहानपुर 10-12-2023

महिलाओं को बचाव व हेल्प लाइन नंबर की दी जानकारी

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर नेपा मिल हुई कार्यशाला

भास्कर संवाददाता | नेपानगर

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर कार्यशाला हुई। आईटी विभाग की सहायक अधिकारी आभा महतो ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित हेल्पलाइन नंबर सहित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए बताया कि यदि वास्तव में किसी महिला कर्मचारी के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार होता है, तो उसे बेझिझक आगे आकर इसकी शिकायत करनी चाहिए।

मुख्य वक्ता अधिवक्ता काजोल बुग्गीवाला ने यौन उत्पीड़न पर जानकारी देते हुए बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से न केवल परेशान महिलाकर्मी को मानसिक और शारीरिक क्षति होती है, बल्कि भय और भेदभावपूर्ण कार्य का वातावरण बन जाने के कारण कार्यस्थल पर अवसरों को भी गंभीर रूप से कम कर देता है। सत्र में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को सुनने और संबोधित करने, लिंग संबंधी मुद्दों और आंतरिक शिकायत समिति के कामकाज के बारे में जागरुकता फैलाने से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया। यौन उत्पीड़न के विभिन्न रूपों मौखिक, शारीरिक, दृश्य के बारे में चर्चा करते हुए काजोल बुग्गीवाला ने कहा कि चुप्पी का मतलब हमेशा यह नहीं है कि कोई भी कृत्य स्वागत योग्य है और किसी व्यवहार को प्रोत्साहित करने का मतलब यह नहीं है कि किसी भी प्रकार के व्यवहार का स्वागत है। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कितनी महिलाएं प्रतिशोध के डर, सामाजिक कलंक, सबूत की कमी, प्रतिष्ठा खोने के डर, कम आत्मविश्वास, नौकरी छूटने के डर या जागरुकता की कमी के कारण शिकायत या रिपोर्ट नहीं करती हैं। हर संगठन में आंतरिक समिति के महत्व को समझाते हुए उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के बारे में बात की और आंतरिक समिति के लिए समयसीमा और पिट स्टॉप और आंतरिक समिति कैसे काम करती है। इस पर भी चर्चा की।

तीन प्रमुख कानूनों भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के बारे में महिलाओं को बताया गया। कार्यशाला में डॉ. राजश्री मोरे, पद्मजा अलेगु, सौम्या श्रोत्रीय, सुषमा गौर, लक्ष्मी सेन, नोहशीन खान, रीतिका भमोरे, मीना श्रीवास्तव, शिवांगी सिंह, छाया महाजन, आंचल पाल, सरिता पाटिल, अंजली अहिरवार, चेतना पाटिल, नैना श्रीमाली, सुहाना खान, कनिष्ठ अधिकारी वाणिज्य विभाग संगीता लाल, संपदा विभाग की निशा प्रजापति मौजूद थे।

कार्यशाला: महिलाकर्मचारियों को तीन कानूनों के साथ दी अधिनियमों की जानकारी

यौन उत्पीड़न से महिलाकर्मी को मानसिक और शारीरिक क्षति

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

कार्यक्रम में मौजूद महिला कर्मी।

कार्यशाला में दी जानकारी।

नेपानगर. केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर कार्यशाला हुई। आइटी विभाग की सहायक अधिकारी आभा महतो ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित हेल्पलाइन नंबर सहित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए बताया कि यदि वास्तव में किसी महिला कर्मचारी के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार होता है तो उसे बेझिझक आगे इसकी शिकायत करनी चाहिए।

मुख्य वक्ता अधिवक्ता काजोल बुग्गीवाला ने बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से न केवल महिलाकर्मी को मानसिक और शारीरिक क्षति होती है, बल्कि भय और भेदभावपूर्ण कार्य का वातावरण बन जाने के कारण कार्यस्थल पर अवसरों को भी गंभीर रूप से कम कर देता है। सत्र में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को सुनने और संबंधित करने, लिंग संबंधी मुद्दों और आंतरिक शिकायत समिति के कामकाज के बारे में जागरूकता फैलाने से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया।

चुप्पी न साधें खुल कर बोलें

यौन उत्पीड़न के विभिन्न रूपों मौखिक, शारीरिक, दृश्य के बारे में चर्चा करते हुए बुग्गीवाला ने कहा कि चुप्पी का मतलब हमेशा यह नहीं है कि कोई भी कृत्य स्वागत योग्य है और किसी व्यवहार को प्रोत्साहित करने का मतलब यह नहीं है कि किसी भी प्रकार के व्यवहार का स्वागत है। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कितनी महिलाएं सामाजिक कलंक, सबूत की कमी, प्रतिष्ठा खोने के डर, कम आत्मविश्वास नौकरी छूटने के डर या जागरूकता की कमी के कारण शिकायत या रिपोर्ट नहीं करती हैं।

इस दौरान तीन प्रमुख कानूनों के बारे में महिलाओं को बताया गया। इसके उदाहरण भी दिए और कार्यस्थल उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के बीच अंतर और पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को समझाया।

कार्यशाला में डॉ.राजश्री मोरे, पद्मजा अलेगु, सौम्या शोत्रीय, सुषमा गौर, लक्ष्मी सेन, नोहशीन खान, रीतिका भमोरे, मीना श्रीवास्तव, शिवांगी सिंहए छाया महाजन, आंचल पाल, सरिता पाटिल, अंजली अहिरवार, चेतना पाटिल, नैना श्रीमाली, सुहाना खान आदि मौजूद थे।